राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2122/2024

गिर्राज प्रसाद —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, गृह विभाग, ग्रुप–1, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सवाईमाधोपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.06.2024
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री वृजेन्द्र उजेनिया, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 संशोधित 2018 के साथ पुलिस थाना ए.सी.बी. चौकी सवाईमाधोपुर में एफ.आई.आर. संख्या–134/22 दर्ज की गयी एवं अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.06.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवायें वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1938 के तहत निलम्बित कर दिया गया। अपीलार्थी का प्रकरण एसीबी न्यायालय भरतपुर में लम्बित है। अपीलार्थी ने दिनांक 07.12.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निलम्बन से बहाल करने का निवेदन किया, जिस पर नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तब अपीलार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश कर शीघ्र सुनवाई व अभ्यावेदन पर निर्णय करने हेतु पेश किया, जिसमें माननीय सिविल सेवा अधिकरण ने दिनांक 08.01.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को चार सप्ताह में आदेश पारित करने का आदेश दिया। प्रत्यर्थी संख्या–3 ने दिनांक 10.02.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर यह आदेश दिया कि "उक्त सहायक उप निरीक्षक (निल.) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर न्यायिक दृष्टिकोण से विचार करने पर उक्त सहायक उप निरीक्षक के द्वारा ऐसा कोई ठोस व पर्याप्त आधार पेश नहीं किया, जिससे उसे निलम्बन से बहाल किया जावे, यदि स.उ.नि. को इस प्रकरण में निलम्बन से

बहाल किया जाता है तो इस तथ्य का भी कोई ठोस प्रमाणिक आधार नहीं है कि वह भविष्य में उक्तानुसार पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं साथ ही यह भी उल्लेख है कि उक्त सहायक उप निरीक्षक के द्वारा अपने कर्तव्यों से परे हटकर अनैतिक आचरण किया है, इस प्रकार से नैतिक अवमूल्यन करने वाले कार्मिक को निलम्बन से बहाल किया जाना न्यायोचित नहीं है, अतः उक्त प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों पर न्यायिक दृष्टिकोण से विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता श्री गिर्राज प्रसाद स.उ.नि. को निलम्बन से बहाल किया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए आवेदक का अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है। ''इस संबंध में रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में पेश की, जो दिनांक 14.05.2024 को यह कहते रिट याचिका निस्तारित की कि याचिकाकर्ता अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत करे (अनुलग्नक–5)। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 2015 (7) एस.एस.सी. 291 में भी स्पष्ट किया है कि किसी को एक निश्चित अवधि से कम समय के लिये निलम्बित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 05.06.2023 से निरन्तर लम्बित चला आ रहा है। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी लोक सेवक या व्यक्ति केवल आरोप पत्र पेश हो जाने मात्र से दोषी नहीं हो जाता है तथा आपराधिक अपराध का आरोप लगाये गये प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जायेगा, जब तक कि वह कानून के अनुसार दोषी साबित न हो जाये इसलिये भी आदेश दिनांक 10–02–2024 प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के साथ प्रत्यर्थी विभाग ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए बहाल से इनकार कर दिया और काफी समय से निलम्बित कर रखा है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा दिनांक 31.05.2024 को ही अन्य आरोपित कार्मिकों को बहाल किया गया है (अनुलग्नक–6)। अतः उक्त आदेश असैवधानिक एवं विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.06.2023 एवं 10.02.2024 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान कर एवं निलम्बित करने की दिनांक से बहाली तक के सम्पूर्ण बकाया वेतन, लाभ परिलाभ आदि दिलवाये जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.06.2023 के द्वारा निलंबित किया गया था। निलम्बन अवधि को लगभग 1 वर्ष 08 माह हो चुके है एवं प्रस्तुत अपील के अनुसार सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा

चुका है। अतः प्रकरण के तथ्यों के मध्यनजर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2022 से गठित पुनरावलोकन कमेटी के समक्ष इस निर्णय से एक माह की अवधि में समस्त तथ्यों सहित विचारार्थ रखा जावे तथा पुनरावलोकन कमेटी अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करने के सबंध में प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए इस निर्णय से एक माह की अवधि में युक्तियुक्त आदेश पारित करें एवं अपीलार्थी को सम्यक् रूप से सूचित किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष